बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

सं0 – 6प०/प०नि०/01–03/2026/10748/पं०रा०   पटना, दिनांक 20/7/26

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 64 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा के निमित्त निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

आदेश

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी प्रत्येक जिला में अवस्थित ग्रामों के लिये जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेगा।

2. जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन/परिसीमन वर्ष 2011 में प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

3. जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा के लिए जिला को इकाई के रूप में माना जाएगा।

4. सभी जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन/परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा।

5. जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन/परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि–

   (क) जिला परिषद् के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत हो।

   (ख) जिला परिषद् का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत हो।

(ग) जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी भी स्थिति में विभाजित न हो।

6. जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जिला के उत्तर–पश्चिम से प्रारम्भ होकर दक्षिण–पूर्व में समाप्त होगा।

7. जिला स्तर पर किये जा रहे जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन/परिसीमन कार्य का सतत् अनुश्रवण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

8. जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण का प्रारूप प्रपत्र–7 में संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना–पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार–प्रसार कराया जाएगा।

9. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर सम्यक् विचार कर जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

10. निर्धारित जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रपत्र–8 में कर जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/7/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–6प०/प०नि०/01–03/2026/10748/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाए।

20/7/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–6प० / प०नि० / 01–03 / 2026 / 10748 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव और सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) / सभी उप विकास आयुक्त / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/7/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

प्रपत्र–7

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

प्रारूप प्रकाशन

संख्या – .... जिला परिषद् का नाम–.. दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – ....

जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम/संख्या	चौहद्दी	जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				जिला परिषद् का नाम	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

इस संबंध में 15 दिनों के अंदर जो भी सुझाव/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होगी, उनपर विचार किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>प्रपत्र–8</u>

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

अंतिम प्रकाशन

संख्या – .... जिला परिषद् का नाम–.. दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – ....

जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम/संख्या	चौहद्दी	जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				जिला परिषद् का नाम	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर